

प्रेषक,

एस० राजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक १८ अक्टूबर, 2013

विषय— प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अर्ह पी०टी०ए० शिक्षकों को मानदेय स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1116 / XXIV-4 / 2011-10(4) / 2010, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया जाना है कि उक्त शासनादेश द्वारा 590 पी०टी०ए० शिक्षकों में से केवल ऐसे अर्ह पी०टी०ए० शिक्षक जो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत हों और उक्त माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा नियमानुसार रखे गये हों, को ₹ 7,000/- (रुपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य किए जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-06(05)/59/3588/2013-14, दिनांक 09 मई, 2013 एवं पत्र संख्या-06(05)/59/9762/2013-14, दिनांक 20 जून, 2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1116 / XXIV-4 / 2011-10(4) / 2010, दिनांक 20-12-2011 द्वारा जारी 590 पी०टी०ए० शिक्षकों में से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत एवं तत्समय मानदेय से वंचित रह गये अर्ह सूचित 90 पी०टी०ए० शिक्षकों, जो पूर्वोक्त शासनादेश दिनांक 20-12-2011 की सभी शर्तें पूर्ण करते हों, को ₹ 7,000/- (रुपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त मानदेय की अनुमन्यता इस शर्त की अधीन भी होगी कि ऐसे पी०टी०ए० शिक्षक निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हों तथा आरक्षण रोस्टर प्रणाली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो।

4. भविष्य में यदि किसी भी विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र/प्रधान द्वारा पी०टी०ए० शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए शासकीय स्रोत से मानदेय आदि की मांग की जाती है तो सम्बन्धित विद्यालय की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०-७४(P)/XXVII(3) / 2013-14, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/
(एस० राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या—३५६ (१) / xxiv-4 / 2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
02. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
03. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री को मा० शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
04. समस्त, जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) उत्तराखण्ड।
07. वित्त अनुभाग-३/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
08. कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, देहरादून।
09. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर०के० तोमर)
उप सचिव।